न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 155/2018

RCMS Case No. 2018/00188

प्रार्थी :– बनाम **अप्रार्थी:–**

सरकार जरिये तहसीलदार रानी

1. सरपंच ग्राम पंचायत बालराई तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 31/01/2019

प्रार्थी तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बालराई तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 153/1 रकबा 3.00 बीघा किस्म गै0मु0 आबादी की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार अप्रार्थी के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाडा थी, जिसका जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक/एफ. 12(3)(28)/राज./78/546–50 दिनांक 30.01.1978 के जरिये आबादी दर्ज करने के आदेश पारित किए। चूंकि उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाडा थी, जिसको आबादी में दर्ज किया जाना अथवा आबादी हेतु आवंटित किया जाना विधि सम्मत नहीं था। इसके अतिरिक्त गै0मु0 नाडा की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत भी आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार है। अतः जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ. 12(3)(28)/राज./78/546–50 दिनांक 30.01.1978 एवं उसकी पालना में दायर ग्राम बालराई के नामान्तरकरण संख्या 291 पर सरपंच ग्राम पंचायत बालराई द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.12.1979 को अपास्त कराने एवं खसरा नम्बर 153/1 की किस्म गै0मु0 आबादी से पुनः गै0मु0 नाडा दर्ज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स कराने का श्रम करावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बालराई तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 153/1 रकबा 3.00 बीघा किस्म गै0मु0 आबादी की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार अप्रार्थी के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाडा थी, जिसका जिला कलक्टर पाली

अति० जिला कलेक्टर, पाली

के आदेश क्रमांक/एफ. 12(3)(28)/राज./78/546–50 दिनांक 30.01.1978 के जरिये आबादी दर्ज करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में सरपंच ग्राम पंचायत बालराई द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 291 के उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 तालाब से आबादी दर्ज की गई। अब जहां तक रेफरेन्स प्रेषित करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 का उद्धरण इस प्रकार है –

82. Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – The Settlement Commissioner or the Director of Land Records [or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement; and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit. इससे यह स्पष्ट होता है कि कलक्टर अपने अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा पारित आदेश/कार्यवाही की परीक्षा कर विधिक त्रुटी पाई जाने की दशा में राज्य सरकार अथवा माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित कर सकते है। चूंकि प्रकरण में जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण दायर करते हुए भूमि कि किस्म गै0मु0 तालाब से आबादी दर्ज की गई है, वह जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित किया है, जिसका रेफरेन्स न्यायालय हाजा द्वारा नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण तहसीलदार रानी को लौटाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सन्दर्भित आदेश को अपास्त कराते हुए उक्त आदेश के अनुक्रम में दायर ग्राम बालराई के नामान्तरकरण संख्या 291 पर सरपंच ग्राम पंचायत बालराई द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.12.1979 को अपास्त कराने एवं खसरा नम्बर 153/1 की किस्म गै0मु0 आबादी से पुनः गै0मु0 नाडा दर्ज कराने हेतु समस्त दस्तावेजात् की पूर्ति करते हुए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करें। आदेश की सत्य प्रतिलिपी तहसीलदार रानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली